राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 204/2008/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–II, वृत–A, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाग

मैसर्स संतोष कुमार रमेश कुमार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 99/आरएसटी/1997–98/जी/2004–05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–ए, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.10.97 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.10.97 को वाहन संख्या एम.एच.04/एच–2477 की जांच करने पर वाहन में 51 बोरी तिली एवं 132 बोरी ज्वार परिवहनित की जा रही थी। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित मैसर्स पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, शिरपूर धुलिया की जी. आर. नं0 000455 दिनांक 15.10.97 एवं दो लैटरपेड प्रस्तुत किये गये, जिन पर माल की विगत अंकित थी, किन्तु इनके क्रमांक अंकित नहीं पाये गये तथा घोषणा पत्र एरा.टी.18ए रांलग्न नहीं पाया गया। सक्षम अधिकारी ने धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 14,688/– का आरोपण आदेश दिनांक 18.10.97 से किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

4. अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह निर्णय दिया गया है कि परिवहनित माल के साथ विधिक अपेक्षा अनुसार बिल, बिल्टी एवं चालान संलग्न थे एवं सारी सूचनायें उनमें अंकित थी एवं बिल एवं चालान में क्रमांक संख्या अंकित नहीं होना केवल लिपिकीय भूल मात्र थी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषक एवं प्रेषिति की बिना किसी जांच के ही शास्ति का आरोपण किया गया है, जो बिधिसम्मत नहीं माना गया। इस तरह अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण जांच के पश्चात् ~~केवलमात्र~~ आरोपित शास्ति रूपये 14,688/– को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है बल्कि न्यायिक आदेश पारित किया है जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 09.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य